



झारखण्ड सरकार

झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद

विज्ञापन संख्या : जे.सी.ई.सी.ई.बी./60/16- 81

राँची/दिनांक: 31/07/2017

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक सत्र-2017-18-19 में नामांकन के निमित्त द्वितीय साक्षात्कार (Second Round of Counselling) से संबंधित विस्तृत सूचना

पर्षद कार्यालय के विज्ञापन संख्या: जे.सी.ई.सी.ई.बी./60/16-21, राँची दिनांक 24.04.2017 द्वारा राज्य के सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु 8वीं तथा 10वीं कक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त कर चुके आवेदकों से दिनांक 15.06.2017 तक प्राप्त आवेदन पत्रों में प्रविष्ट प्राप्तकों के आधार पर 8वीं एवं 10वीं कक्षा स्तरीय मेधा सूची जारी की गयी थी। उक्त मेधा-सूचियों के आधार पर पर्षद द्वारा दिनांक 11.07.2017 से दिनांक 19.07.2017 तक प्रथम साक्षात्कार आयोजित की गयी है जिसमें अभ्यर्थियों को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकन हेतु अनुशंसित किया गया है। अनुशंसित अभ्यर्थियों के नामांकनोपरान्त रिक्त सीटों पर अनुशंसा भेजने के निमित्त दिनांक 06.08.2017 से द्वितीय साक्षात्कार लिया जाना निर्धारित है।

2. साक्षात्कार Computerized Multi Table Counselling के माध्यम से की जाएगी। संस्थान-वार/व्यवसाय-वार अद्यतन रिक्त सीटों की जानकारी, पर्षद के अधिकृत वेबसाइट पर <http://jceceb.jharkhand.gov.in> के Homepage पर "Live (Current) seat Matrix of I.T.I." Link पर Click कर प्राप्त कर सकते हैं। अतः सभी अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे साक्षात्कार में भाग लेने के पूर्व उपलब्ध सीटों की अद्यतन स्थिति से अवगत होकर ही साक्षात्कार में भाग लें। इस साक्षात्कार में वैसे सभी अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जो या तो प्रथम साक्षात्कार के आधार पर संस्थानों में नामांकित हैं या नामांकन हेतु अनुशंसा के उपरांत संस्थानों में नामांकन नहीं करा सके हैं या प्रथम साक्षात्कार में उपस्थित नहीं हो सके हैं या फिर उपस्थित होकर सीट/व्यवसाय/संस्थान का चयन नहीं किये हैं।

3. प्रथम साक्षात्कार के आधार पर संस्थानों में नामांकित अभ्यर्थियों द्वारा अपने पूर्ववत् सीट/व्यवसाय/संस्थान के पुर्नआवंटन हेतु नामांकन शुल्क (Admission fee) के रसीद की मूल प्रति या संस्थान के प्रमुख द्वारा निर्गत वास्तविक प्रमाण पत्र (Bonafide certificate) जिसमें यह स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए कि संस्थान के स्तर पर कौन-कौन से मूल प्रमाण-पत्र रखे गये हैं। संस्थान में जमा किये गये प्रमाण-पत्रों की छाया-प्रति जो संस्थान के प्रमुख द्वारा अभिप्रमाणित हो, साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है अन्यथा सीट/व्यवसाय/संस्थान का आवंटन नहीं किया जायेगा। वैसे नामांकित अभ्यर्थी जो आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें जाति प्रमाण-पत्र की संस्थान के प्रमुख द्वारा अभिप्रमाणित छाया-प्रति प्रस्तुत करने पर ही आरक्षण का लाभ दिया जायेगा।

4. उपरोक्त कंडिका-3 के अतिरेक अन्य सभी अभ्यर्थियों को, साक्षात्कार के समय, निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों/दस्तावेजों की मूल प्रति (Original copy) तथा उसकी एक-एक छायाप्रति (Xerox) जो कि स्वअभिप्रमाणित (Self Attested) हो, साथ में लाना अनिवार्य है। वांछित प्रमाण-पत्रों/दस्तावेजों की सिर्फ छायाप्रति (Xerox) या फैक्स कॉपी (Fax Copy) उपलब्ध कराने पर, उसकी मान्यता नहीं दी जाएगी और ना ही इस आधार पर सीट/व्यवसाय/संस्थान का आवंटन किया जाएगा।

(क) आठवीं कक्षा परीक्षा का अंक पत्र तथा संबंधित विधालय के प्राध्यानाध्यपक द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र जिसमें अभ्यर्थी का जन्म तिथि अंकित हो, (ख) दसवीं/माध्यमिक/समकक्ष परीक्षा का प्रवेश-पत्र, अंक पत्र तथा

उत्तीर्णता प्रमाण-पत्र, (ग) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकन से संबंधित परीक्षाफल (घ) झारखण्ड राज्य के अंचलाधिकारी (Circle Officer)/अनुमण्डल पदाधिकारी (असैनिक) [Sub-Divisional Officer (Civil)] या उपायुक्त [Deputy Commissioner] द्वारा झारखण्ड सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अधिसूचना झापांक-7/आ0 नीति (सर्वदलीय बैठक) 27/2002 (खण्ड) का0 - 3198, दिनांक 18.04.2016 के आलोक में निर्गत पत्र, पत्र सं0-14/स्थानीयता नीति-14-03/2016 का0-4650 दिनांक 02.06.2016 के अंतर्गत विहित प्रपत्र में जारी स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र, (ङ) झारखण्ड राज्य के अंचलाधिकारी (Circle Officer)/अनुमण्डल पदाधिकारी (असैनिक) [Sub-Divisional Officer (Civil)] या उपायुक्त (Deputy Commissioner) द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र (आरक्षण का लाभ लेने की स्थिति में)।

अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची - 1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची - 2) के अभ्यर्थियों को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, राँची के झापांक 7/जाति-19-11/2008 का.-10007 दिनांक 29.08.2012 के आलोक में "क्रीमी लेयर" अवधारणा के समावेश संबंधित प्रपत्र में ही जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची - 1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची - 2) के अभ्यर्थी जो क्रीमी लेयर के अन्तर्गत नहीं आते हैं, उन्हें ही आरक्षण का लाभ देय होगा। (च) सैन्य कर्मचारी कोटा (एस.एम.क्यू.) का लाभ लेने हेतु सक्षम सैन्य पदाधिकारी द्वारा निर्गत आश्रित प्रमाण-पत्र (सेवारत सैनिक के आश्रितों के लिए) या जिला सैनिक बोर्ड द्वारा जारी आश्रित प्रमाण पत्र, डिस्चार्ज प्रमाण पत्र (सेवानिवृत्त सैनिक के आश्रितों के लिए), (छ) दिव्यांग अभ्यर्थियों को जिला अस्पताल के आर्थो-पेडिक्स के विभागाध्यक्ष/जिला के असैनिक शैल्य चिकित्सक (सिविल सर्जन) द्वारा निर्गत दिव्यांगता प्रमाण-पत्र तथा पूरे शरीर का एक पूर्ण आकार का फोटोग्राफ तथा (ज) पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ की एक प्रति।

यदि किसी अभ्यर्थी के पास स्थानीय निवासी एवं जाति प्रमाण-पत्र (आरक्षण का लाभ लेने हेतु) सक्षम स्तर के पदाधिकारी द्वारा निर्गत नहीं है या वे अपने प्रमाण-पत्र नहीं बनवा सकते हैं, लेकिन प्रमाण-पत्रों को बनवाने के लिये आवेदन समर्पित कर चुके हैं तथा साक्षात्कार के समय संबंधित प्राप्ति रसीद प्रस्तुत करते हैं तो उन्हें भी सीट/व्यवसाय/संस्थान का औपबंधिक आवंटन इस शर्त के साथ ही किया जायेगा कि आवंटित संस्थान में नामांकन के समय वे वांछित प्रमाण-पत्र/पत्रों को, अपने आवंटित संस्थान में जमा कर देंगे अन्यथा उनका औपबंधिक सीट आवंटन आदेश स्वतः रद्द हो जायेगा।

5. साक्षात्कार के समय आधार कार्ड की मूल प्रति साथ में लाना अनिवार्य (Essential) है।

6. साक्षात्कार शुल्क :- सामान्य/पिछड़ी जाति - I/पिछड़ी जाति - II कोटि के अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में सम्मिलित होने के लिए ₹ 400/- तथा अनुसूचित जाति/जनजाति/सभी कोटि के महिला अभ्यर्थियों को ₹ 250/- का साक्षात्कार शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा, जो अप्रतिदेय (Non-refundable) होगा।

साक्षात्कार शुल्क जमा करने का तरीका:-

क) साक्षात्कार शुल्क, बैंक चालान (Bank Challan) के माध्यम से जमा किया जा सकता है। बैंक चालान (Bank Challan) की प्रति पर्सद के वेबसाईट <http://jceceb.jharkhand.gov.in> पर Counselling कॉलम में उपलब्ध है। साक्षात्कार शुल्क, बैंक चालान के माध्यम से यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया के किसी भी शाखा में या अन्य किसी बैंक से यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया के खाते में जमा किया जा सकेगा। खाता सं0 एवं अन्य जानकारी चालान में उपलब्ध है।

या

ख) साक्षात्कार शुल्क, पोस्ट ऑफिस चालान (P.O. Challan) के माध्यम से भी जमा किया जा सकता है। चालान (P.O. Challan) की प्रति पर्षद के वेबसाईट <http://jceceb.jharkhand.gov.in> पर Counselling कॉलम में उपलब्ध है। साक्षात्कार शुल्क, चालान के माध्यम से भारतीय पोस्ट ऑफिस के किसी भी कम्प्यूटराईज्ड डाकघर में जमा किया जा सकेगा। Receipt की एक प्रति, पोस्ट ऑफिस चालान के निर्दिष्ट कॉलम में चिपकानी होगी।

या

ग) साक्षात्कार शुल्क, भारतीय पोस्टल ऑर्डर (Indian Postal Order) के रूप में भी जमा किया जा सकता है।

नोट (a) :- साक्षात्कार के समय बैंक/पोस्ट ऑफिस चालान (Challan) की पर्षद प्रति (Board's Copy) या भारतीय पोस्टल ऑर्डर (IPO) जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें साक्षात्कार में भाग लेने नहीं दिया जाएगा।

7. आबंटित संस्थान में नामांकन लेने की अंतिम तिथि अभ्यर्थियों के औपबंधिक सीट आबंटन पत्र में अंकित रहेगा।

8. साक्षात्कार स्थल :- झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद कार्यालय परिसर, विज्ञान एवं प्रावैधिकी परिसर, सिरखा टोली, नामकुम-तुपुदाना रोड, नामकुम, राँची।

9. दिनांक 06.08.2017 से दिनांक 09.08.2017 तक का साक्षात्कार, संयुक्त मेधा सूची (Combined Merit List) के अनुसार कक्षा-वार आयोजित की जा रही है। अतः आरक्षित कोटि यथा SC/ST/BC-I/BC-II के अभ्यर्थियों को यह सुविधा रहेगी कि वे संयुक्त मेधाक्रमानुसार निर्धारित साक्षात्कार के दिन अनारक्षित कोटि के लिए आरक्षित संस्थानों/व्यवसायों/सीटों के साथ-साथ अपने आरक्षित कोटि के लिए आरक्षित संस्थानों/व्यवसायों /सीटों का भी चयन कर सकते हैं। अतः वे संयुक्त मेधाक्रम से आयोजित साक्षात्कार के दिन ही अपने आरक्षण के दावे के समर्थन में प्रमाण-पत्र अवश्य लावें।

10. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक सत्र-2017-18-19 में नामांकन के निमित्त आवेदकों द्वारा जमा किये गये आवेदन पत्रों में प्रविष्ट प्राप्तांको के आधार पर पर्षद द्वारा जारी की गयी कक्षा-वार मेधा सूचियों से प्रथम साक्षात्कार आयोजित की जा चुकी है। जिन आवेदकों के प्राप्तांक/प्राप्तांक प्रतिशत में त्रुटि पाये जाने के कारण मेधा-सूची प्रभावित हो रही है, वैसे सभी आवेदकों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि वे, यदि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकन के लिए इच्छुक हैं तो, दिनांक 09.08.2017 को अपराहन 05.00 बजे साक्षात्कार स्थल पर उपस्थित होकर रिक्त बचे सीट/व्यवसाय/संस्थान का चयन मेधा-क्रमानुसार कर सकते हैं।

11. अभ्यर्थियों की पात्रता तथा पहचान, प्रमाण पत्रों/अभिलेखों के सत्यापन/जाँच एवं सीट आबंटन के लिए साक्षात्कार कार्यक्रम (तिथि एवं समय) मेधाक्रमानुसार नीचे दिया जा रहा है। किसी कोटि/कोटा में जिस मेधाक्रम से सीटें भर जायेंगी, उस मेधाक्रम के बाद उस कोटि/कोटा के अभ्यर्थियों का साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। साक्षात्कार निम्न कार्यक्रम के अनुसार कक्षा-वार आयोजित की जायेगी :-

11.2 As per PH Rank (दिव्यांग मेधाक्रमानुसार) on the basis of Class 10 th			
Disability Code	PH Rank Range		Counselling Date & Time
	From	To	
1, 2 & 3	All PH Candidates		06.08.2017/10:00 AM

नोट (b) :- दिव्यांगों के लिए आरक्षित सीटों के आवंटन के उपरान्त भी यदि सीटें रिक्त रह जाती हैं, तो उसे संबंधित कोटि में समायोजित कर संयुक्त मेधा-क्रमानुसार, साक्षात्कार, निम्न कार्यक्रमानुसार संचालित किया जायेगा।

11.3: Counselling as per CML Rank (संयुक्त मेधाक्रमानुसार) on the basis of class 10th					
CML Rank Range		Counselling Date & Time	CML Rank Range		Counselling Date & Time
From	To		From	To	
1	1,250	06.08.2017/11:00 AM	1,251	2,500	06.08.2017 / 01:00 PM
2,501	5,000	07.08.2017/10:00 AM	5,001	7,500	07.08.2017 / 01:00 PM
7,501	12,000	08.08.2017/10:00 AM	12,001	14,173	08.08.2017 / 01:00 PM
All SMQ Candidates		08.08.2017/04:00 PM			

11.4 As per PH Rank (दिव्यांग मेधाक्रमानुसार) on the basis of class 8 th			
Disability Code	PH Rank Range		Counselling Date & Time
	From	To	
1, 2 & 3	All PH Candidates		09.08.2017/10:00 AM

नोट (c) :- दिव्यांगों के लिए आरक्षित सीटों के आवंटन के उपरान्त भी यदि सीटें रिक्त रह जाती हैं, तो उसे संबंधित कोटि में समायोजित कर संयुक्त मेधा-क्रमानुसार, साक्षात्कार, निम्न कार्यक्रमानुसार संचालित किया जायेगा।

11.5: Counselling as per CML Rank (संयुक्त मेधाक्रमानुसार) on the basis of class 8 th					
CML Rank Range		Counselling Date & Time	CML Rank Range		Counselling Date & Time
From	To		From	To	
1	7,000	09.08.2017/11:00 AM	7,001	14,459	09.08.2017 / 01:00 PM
All SMQ Candidates		09.08.2017/04:00 PM			

नोट (d) :- उपरोक्त सूचियों में सम्मिलित एस0एम0क्यू0 कोटा के अभ्यर्थियों को कोटा के लिए आरक्षित सीटें, एस0एम0क्यू0 कोटा हेतु निर्धारित साक्षात्कार के दिन ही, प्राथमिकता कोड के आधार पर आवंटित किया जाएगा। अगर वे चाहें तो संयुक्त मेधाक्रमानुसार सम्मिलित होकर उपलब्ध संस्थानों/व्यवसायों/सीटों में से मेधा-सह-ईच्छानुसार सीट आवंटन करा सकते हैं। बेहतर विकल्प हेतु एस0एम0क्यू0 कोटा के लिये आयोजित साक्षात्कार के दिन भी संस्थान/व्यवसाय/सीट का पुनर्आवंटन करा सकते हैं।

12. अंतिम रूप से चयनित होने के पहले प्रत्येक अभ्यर्थी के प्रमाण-पत्रों की मूल प्रतियों तथा पहचान की छान-बीन एवं सत्यता की जाँच की जायेगी। जाली प्रमाण-पत्र अथवा गलत पहचान के आधार पर नामांकन का प्रयास करने वाले अभ्यर्थियों के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कर्वाइ की जायेगी। ऐसे अभ्यर्थियों को पर्षद द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं में आगामी तीन वर्षों तक शामिल होने से वंचित कर दिया जायेगा।

13. साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी की संयुक्त मेधाक्रम संख्या के समय उपलब्ध रिक्त स्थानों में से अभ्यर्थी को व्यवसाय एवं संस्थान का आवंटन, मेधा-सह-ईच्छा के आधार पर, किया जायेगा। साक्षात्कार के लिए अलग से कोई अंक निर्धारित नहीं है।

14. यदि किसी अभ्यर्थी की पहचान सत्यापित नहीं होती है अथवा डाक्टरी जाँच में अयोग्य पाये जाते हैं तो वैसे अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी स्वतः रद्द समझी जायेगी।

15. साक्षात्कार के दौरान यदि अभ्यर्थी अपने मेधाक्रमानुसार उपस्थित होते हैं और सभी वांछित प्रमाण-पत्रों को प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं अथवा अपने मेधाक्रमानुसार निर्धारित तिथि/समय पर उपस्थित नहीं होते हैं तथा चालू साक्षात्कार के दौरान किसी साक्षात्कार दिवस में सभी वांछित प्रमाण-पत्रों के साथ उपस्थित होते हैं तो वैसी स्थिति में उस दिन/समय पर उपलब्ध संस्थानों/व्यवसायों/सीटों के आलोक में ही उनको सीट के विकल्प का चयन करना होगा।
16. प्रत्येक कोटि/कोटा में उपलब्ध रिक्तियों से अधिक संख्या में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु बुलाया गया है। अतः साक्षात्कार हेतु बुलाये गये सभी अभ्यर्थियों को संस्थान/व्यवसाय/सीट आबंटन की गारंटी नहीं है।
17. साक्षात्कार के समय विद्यालय/महाविद्यालय परित्याग प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं है। आवंटित संस्थान में नामांकन के समय विद्यालय/महाविद्यालय परित्याग प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।
18. जिन अभ्यर्थियों का मेधाक्रम इस विज्ञापन की कंडिका 11 में अंकित हैं, उन्हें साक्षात्कार में सम्मिलित होने के लिए अलग से साक्षात्कार पत्र नहीं भेजा जा रहा है। बल्कि इस विज्ञापित के माध्यम से साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किये जाते हैं कि वे इस सूचना के आधार पर ही निर्धारित तिथि एवं Counselling Time पर, साक्षात्कार में, निश्चित रूप से उपस्थित हो अन्यथा उन्हें अनुपस्थित मान लिया जाएगा तथा उपरोक्त कण्डिका 15 के अनुसार ही संस्थान/व्यवसाय/सीट चयन का अवसर दिया जाएगा। इसके लिये पर्षद उत्तरदायी नहीं होगा।
19. अभ्यर्थी द्वारा मेधा-सह-ईच्छानुसार चालू साक्षात्कार के समय संस्थान/व्यवसाय/सीट का आबंटन करा लेने पर पुनः चालू साक्षात्कार में, एस0एम0क्यू0 कोटा के अभ्यर्थियों को छोड़कर, दोबारा भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
20. किसी भी प्रकार के संशय की स्थिति में परीक्षा नियंत्रक, झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।
21. साक्षात्कार से संबंधित किसी वांछित जानकारी हेतु पर्षद के वेबसाईट <http://jceceb.jharkhand.gov.in> और दूरभाष सं. 0651-6999170/6999171 पर सम्पर्क किया जा सकता है।
22. प्रेस में मुद्रण की अशुद्धियों के लिये अधोहस्ताक्षरी उत्तरदायी नहीं होंगे।


(सुरेन्द्र कुमार मा0प्र0से0)
परीक्षा नियंत्रक